

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

(A Statutory body of Ministry of Women & Child Development)
West Block -VIII, Wing No- II, 2nd Floor, R.K Puram ,New Delhi -110066
Tele No.- 011-26105346, Fax No.- 011-261808198; E-mail:
carahdesk.wcd@nic.in

Date: 20.03.2020

OFFICE ORDER

Subject: Preventive Measures to be taken to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19)-regarding

With reference to OM No. ADMN-46/5/2020-ADMIN dated 18th March, 2020 from MWCD and OM No. 11013/9/2014-Estt(A-III) dated 19th March, 2020 from Department of Personnel & Training (DoPT), certain preventive measures shall be undertaken by CARA. The following are the measures:-

1. In Programme and Administrative Division, respective Divisional Head shall decide on the essential staff required to report to the office for work, while all other staff shall work from home till 5th April, 2020.
2. All staff working from home are strictly instructed to ensure that there is no pendency of work with them and they remain available & active through their email and telephone/mobile communications. The Section Officers concerned shall be responsible for monitoring of the tasks pertaining to their respective Sections as well as the support staff of their Section.
3. In case of In-country adoption, referral shall remain suspended till 5th April, 2020 and the matching process for cases where children have been reserved shall be extended till 15th April, 2020.
4. In case of Inter-country adoption, the acceptance period for all children reserved shall be extended till 30th April, 2020.
5. Visitors are advised not to visit CARA till 15th April, 2020.



(Dr. Jagannath Pati)
Joint Director, CARA

To:-

All Officials and Staff of CARA
All CAs/AFAAs/IDMs
All SARAs
All DCPUs & SAAs

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
संयुक्त निदेशक / Joint Director
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
परिसर भी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली - New Delhi-110066

Copy to:-

- (i) Shri Chandkiran Chhoker, NIC - For ensuring compliance of Paras 3 & 4 of the order on CARINGS.
- (ii) Director, MWCD, for information please.
- (iii) PS to CEO CARA
- (iv) Director (Programme Section)



केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-1, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066


20.03.2020

कार्यालय आदेश

विषय- नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु किए जाने वाले निवारक उपायों के संबंध में

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं प्रशासन-46/5/2020-प्रशासन और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मार्च, 2020 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के द्वारा रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं-

1. कार्यक्रम और प्रशासनिक विभाग में, संबंधित विभागाध्यक्ष कार्य हेतु आवश्यक कर्मचारियों के कार्यालय में उपस्थिति का निर्णय लेंगे, जबकि अन्य सभी कर्मचारी दिनांक 05 अप्रैल, 2020 तक घर से कार्य करेंगे।
2. घर से कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके पास कोई भी कार्य लम्बित नहीं होना चाहिए और वह ईमेल और टेलीफोन/मोबाइल संचार के माध्यम से उपलब्ध और सक्रिय रहे। संबंधित अनुभाग अधिकारी अपने संबंधित अनुभाग के साथ-साथ उनके अनुभाग के सहायक कर्मचारियों से संबंधित कार्यों की निगरानी हेतु जिम्मेदार होंगे।
3. देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में, रेफरल दिनांक 05 अप्रैल, 2020 तक निलंबित रहेंगे और जिन मामलों में बच्चे आरक्षित किये जा चुके हैं एवं उनका मिलान किया जाना है, उसकी अवधि को दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
4. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में, आरक्षित बच्चों की स्वीकृति अवधि को दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
5. आगंतुको को सलाह दी जाती है कि वह दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में उपस्थित न हों।


(डॉ जगन्नाथ पति)
सयुक्त निदेशक, कारा

कारा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु
सभी सीए/एएफएए/आईडीएम हेतु
सभी सारा
सभी डीसीपीयू और एसएए हेतु

प्रति-

- (1) श्री चांदकिरण चोकर, एनआईसी- केयरिंग्स पर कार्यालय आदेश के पैरा 3 और 4 के अनुपालन हेतु
- (2) निदेशक, एमडब्ल्यूसीडी-जानकारी हेतु
- (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा के निजी सचिव हेतु
- (4) निदेशक (कार्यक्रम विभाग)